हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
बेज संख्या 67&70, सैक्टर 2 पंचकूला -134151
(वेबसाईट: www.hssc.gov.in)
विज्ञापन संख्या: 4/2020, 2/2021 & 3/2021

13-08-2021 से शुरू होने वाले पुलिस विभाग के पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक माप (पीएमटी) और दस्तावेजों की जांच के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. उम्मीदवार फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमैंट टेस्ट और दस्तावेजों की जांच के लिए आने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़े।

2. उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएमटी और दस्तावेजों की जांच के लिए प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाकर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवा कर, फोटोयुक्त ड्राईविंग लाइसेंस , वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि पहचान प्त्र सहित केवल प्रिन्टिड एडमिड कार्ड लेकर आए।

3. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रॅनिक कम्यूनिकेशन उपकरण, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन आदि जैसे गहने ना लेकर आए। यदि किसी उम्मीदवार के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसे परीक्षण स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. उम्मीदवार को वेबसाईट से ओरिजिनल डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ उस में दर्शाई गई तिथि और समय पर निश्चित स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश पत्र में दर्शाए गए समय से पहले स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक शिफ्ट का कार्य पूर्ण होने पर ही अगली शिफ्ट के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा।

5. यह भी संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवारों ने पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उम्मीदवार को प्रत्येक पीएसटी/पीएमटी में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से जांच करवानी होगी। चूंकि पीएसटी का संचालन उम्मीदवार की शारीरिक शक्ति से जुड़ा हुआ है जिस में उम्मीदवार के समय के बदलाव की संभावना है, ऐसे सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अलग से उपस्थित होना अनिवार्य होगा और पीएसटी के उस उम्मीदवार के परिणाम को उसी पद की श्रेणी के अनुसार माना जाएगा जिस श्रेणी में वह उम्मीदवार उपस्थित हुआ है। उम्मीदवार का एक श्रेणी में अच्छा और दूसरी श्रेणी में खराब प्रदर्शन की संभावना हो सकती है, लेकिन किसी एक श्रेणी के अच्छे प्रदर्शन के परिणाम को दूसरी श्रेणी में खराब प्रदर्शन के परिणाम के आधार पर पहली श्रेणी में किए गए अच्छे प्रदर्शन का आधार नहीं माना जाएगा। हर श्रेणी का परिणाम उस श्रेणी में किए गए प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित होगा। पीएमटी के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों का अलग-2 माप लिया जाएगा। माप कम्पयूटरीकृत मशीनों के द्वारा लिया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वचालित रूप से सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने माप के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह उसी तिथि पर तुरंत लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और ऐसे मामले में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा उस उम्मीदवार का माप लिया जाएगा और ऐसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया गया माप का परिणाम अंतिम माना जाएगा और पीएमटी के उसके परिणाम को उस पद की श्रेणी अनुसार ही माना जाएगा जिसमें वह उपस्थित हुआ है। ऐसे उम्मीदवारों के

दस्तावेजों की जांच के संबंध में उन्हें प्रत्येक श्रेणी में अलग-2 श्रेणियों के लिए अलग-2 उपस्थित होना पडेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह स्क्रूटनी के समय सभी दस्तावेजों को दिखाए।

6. कार्यक्रम स्थल पर उम्मीदवार को एक टोकन नंबर दिया जाएगा और फिर वे प्रतीक्षा स्थल पर जाएंगे जहॉं उन्हें पंजीकरण के लिए उन के टोकन नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा। पीएसटी (दौड़) के लिए उम्मीदवार को चेस्ट नंबर और आरएफआईटी टैग/चिप दिया जाएगा जो उम्मीदवार के पैरों पर बंधा होगा।

उम्मीदवार किसी भी स्तर पर चेस्ट नंबर या उसे दी गई चिप के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा, अगर किसी स्तर पर छेड़छाड़ पाई गई तो उसमें किसी भी तरह की विसंगति के कारण उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।

7. पीएसटी और पीएमटी के दौरान किसी भी प्रकार की ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित दवाएं लेना सख्त वर्जित है। अगर किसी उम्मीदवार के पास दवा या प्रतिबंधित दवा पाई जाती है तो उसे आगे की चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

8. सभी उम्मीदवार जिन्होंने विभिन्न पदो ंके लिए आवेदन किया है उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उस पद के लिए शारिरिक मानकों को पूरा करते हैं और शारीरिक परीक्षण में भाग लेने के लिए फिट हैं। उम्मीदवार शारीरिक जांच परीक्षा में अपने जोखिम व जिम्मेदारी पर भाग लेंगे। परीक्षण के दौर उसे हुई किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट के लिए एचएसएससी या सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

9. उम्मीदवार जूते पहन कर/ बिना जूते पहने शारीरिक जांच परीक्षा में भाग ले सकता है लेकिन अगर कोई चोट लगती है तो इसकी जिम्मेदारी आयोग या सरकार की नहीं होगी।

10. पीएसटी (रनिंग) आयोजित करने की प्रक्रिया:-

क) उम्मीदवारी की तालाशी (फ्रिसकिंग)

ख) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई आईडी से पहचान की पुष्टि के बाद प्रवेश पत्र से बार कोड की स्कैनिंग और फोटोग्राफ और बायोमैट्रिक फिंगर प्रिंट कैप्चर करके उम्मीदवार का पंजीकरण।

ग) उम्मीदवार के पैरों पर अलग से चेस्ट नंबर और आरएफआईडी टैग बांधना जिसे चिप स्कैनर द्वारा स्कैन किया जाएगा।

घ) उम्मीदवारों को रनवे के सभी प्वाईंटस यानि शुरुआती प्वाईंट, मध्य प्वाईंट और समापन प्वाईंट से गुजरना है ताकि उनके पैरों से बंधी चिप सिस्टम में स्वचालित रूप से दर्ज हो जाए और यदि किसी भी प्वाईंट पर उम्मीदवार की चिप रिकॉर्ड नहीं की जाती है तो उस पुरुष/महिला उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

ड) डी-रजिस्ट्रेशन, बायो-मेट्रिक प्राप्त करना और पीएसटी के समाप्त होने पर आरएफआईडी चिप और चेस्ट नंबर वापिस लेना।

पीएसटी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा, परन्तु दौड़ के समय/पीएसटी की गणना के लिए, आरएफआईडी टैग/ चिप द्वारा दर्ज किए गए समय के आधार पर चयन किया जाएगा।

11. पीएमटी प्रक्रिया:-

क) परीक्षार्थी की तलाशी के पश्चात्, बायोमैट्रिक हाजरी, प्रवेश पत्र के बार कोड की स्कैनिंग, उम्मीदवार की विडियोग्राफी के पश्चात उम्मीदवार पीएमटी के लिए निर्धारित समिति के समक्ष उपस्थित होगा।

ख) पीएमटी कम्प्यूटराईज्ड मशीनों के माध्यम से की जाएगी जिसका माप-तौल का डाटा स्क्रिन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

ग) उम्मीदवार मीजरमैंट स्लिप पर हस्ताक्षर करेगा। उम्मीदवार को उसके माप का परिणाम पीएमटी के तुरंत बाद दे दिया जाएगा।

घ) प्रत्येक पीएमटी काउंटर पर एक सीसीटीवी लगाया जाएगा जो प्रत्येक मशीन को कवर करेगा ताकि पीएमटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कैप्चर किया जा सके।

12. पुरूष कांस्टेबल (कमांडो विंग):-

क) विभाग के सेवा नियमों के अनुसार, उम्मीदवार पहले पीएमटी के लिए उपस्थित होगा, जो उम्मीदवार पीएमटी परीक्षा पास करेगा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पीएसटी (हाई जम्प) के लिए और हाईजम्प को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को पीएसटी(चिन अप) के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

ख) योग्य उम्मीदवारों की परिणाम सूची कमीशन की वेबसाईट पर शैड्यूल के अंतिम दिन डिस्पले की जाएगी जिसके बाद केवल योग्य उम्मीदवारों को पीएसटी (रनिंग) के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। पीएसटी (रनिंग) का परिणाम आयोग की वेबसाईट पर पीएसटी (रनिंग) के अंतिम दिन डिस्पले किया जाएगा।

ग) केवल पीएसटी (रनिंग) क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

13. कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और सब इंस्पेक्टर के लिए :-

(क) केवल पीएसटी के लिए निर्धारित मानकों को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को विभाग सेवा नियमों के अनुसार पीएमटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसका परिणाम एचएसएससी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) पीएमटी में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए उपस्थित होना होगा। अन्य सभी उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

(ग) केवल उन्हीं उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी जिन्होंने विभागीय सेवा नियमों के अनुसार पीएमटी क्वालिफाई किया है और जिन्हें पीएमटी करने के बाद 'क्वालिफाईड' लिखी हुई माप पर्ची दी गई है। उम्मीदवार दस्तावेजों की जांच के लिए इस पर्ची को ले जाएगा। दस्तावेजों की जांच के समय, उम्मीदवार मूल प्रवेश पत्र, माप पर्ची, एक फोटो पहचान प्रमाण और सभी मूल दस्तावेज (जो उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित किए गए हैं) और उनकी सत्यापित फोटोकॉपी डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र के साथ लाएंगे। उम्मीदवार की माप पर्ची, प्रवेश पत्र और फोटो आईडी प्रमाण की जांच करने के बाद उम्मीदवार को जांच के लिए निर्धारित समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। समिति द्वारा सत्यापन के बाद अटेंडेंस शीट पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाएगा।

14. यदि किसी उम्मीदवार को पीएसटी, पीएमटी या दस्तावेजों की जांच के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह उसी दिन तुरंत लिखित रुप में अपनी आपत्ति, निवारण समिति को देगा, जिसके बाद ऐसी कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार विभाग के विज्ञापन और सेवा नियमों के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

16. सभी उम्मीदवार समय-समय पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है और यदि उनका पालन नहीं किया जाता है या उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पैदा की जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

17. पीएसटी/पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन एचएसएससी द्वारा किए गए विज्ञापन संख्या 04/2020, 02/2021 और 03/2021 के अनुसार व विभागीय सेवा नियमावली के आधार पर किया जाएगा जो आयोग की वेबसाईट www.hssc.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध है।

-Sd /-
सचिव
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
पंचकूला

दिनांक 15 जुलाई 2021